न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–61 / 2023

वादी	बनाम	प्रतिवादी
श्रीराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी भाणा मगरा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–19.5.2023

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम रिकरलाई पटवार क्षेत्र सिणली जागीर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 288 रकबा 22.18 बीधा भूमि अवस्थित है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये रजिस्ट्री क्रय की गई है,जो वक्त खरीद से आदिनांक वादी का मौके पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वक्त खरीद के समय वादी को धर वालें लाड़ प्यार से सुरेन्द्रकुमार नाम से पुकारते थे,इस कारण रजिस्ट्री भी सुरेन्द्रकुमार नाम से हुए और नामान्तरण भी इसी नाम से भरा गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम सुरेन्द्रकुमार न होकर श्रीराम है,जो राजस्व रेकर्ड में इन्दाज गलत नाम सुरेन्द्रकुमार के स्थान पर श्रीराम पुत्र पदमाराम दु[illegible] है।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। और वादग्रस्त भूमि के [illegible] में [illegible]त्मक जांच रिर्पोर्ट तहसीलदार पचपदरा से तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:20:45 IST
Reason: SelfAttested

3.वादी साक्ष्य में वादी स्वंय श्रीराम के लिखित बयानात करवाई। ग्राम पंचायत सिणली जागीर व ग्राम पंचायत करना के प्रमाण पत्र पेश किए गए।

4.हमनें वादी पक्ष को सुना और हल्का पटवारी सिणली जागीर व भू.अ.निरीक्षक तिलवाड़ा की मौका जांच रिर्पोर्ट,वादी बयानात व राजस्व रिकार्ड एवं ग्राम पंचायत सिणली जागीर व ग्राम पंचायत करना द्वारा जारी प्रमाण पत्रों का गम्भीरतापूर्वक, अवलोकन किया। हल्का पटवारी व

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

भू.अ.निरीक्षक तिलवाड़ा ने अपनी समग्र जांच रिर्पोट में विवादित भूमि के खातेदार वादी का अशुद्व नाम प्रविष्टि सुरेन्द्रकुमार के स्थान पर श्रीराम पुत्र पदमाराम इन्द्राज करने की अनुशंसा की गई है तथा रिपोर्ट में उल्लेखित किया है कि सुरेन्द्रकुमार व श्रीराम एक ही व्यक्ति है,अन्य कोई व्यक्ति नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि पर श्रीराम का ही वक्त खरीद से आदिनांक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी स्वय के बयान व सरपंच ग्राम पंचायत सिणली जागीर व सरपंच ग्राम पंचायत करना द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी सुरेन्द्रकुमार व श्रीराम नाम का एक ही व्यक्ति है और वादी का वास्तविक नाम श्रीराम पुत्र पदमाराम ही होना उल्लेखित किया है एवं सलंग्न सरकारी दस्तावेज यथा–वोटर कार्ड,भामाशाह कार्ड,आधार कार्ड,स्टेट बैक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा भूका भगतसिंह द्वारा जारी पास बुक व पैन कार्ड प्रति में भी श्रीराम नाम अंकित है। इससे स्पष्ट साबित है कि वादी का वास्तविक नाम सुरेन्द्रकुमार न होकर श्रीराम पुत्र पदमाराम है एवं ग्राम भाणामगरा तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 07 रकबा 134 बीधा की सहखातेदारी भूमि में वादी का वास्तविक नाम श्रीराम पुत्र पदमाराम इन्द्राज है,इससे भी साबित होता है कि वादी का वास्तविक नाम श्रीराम पुत्र पदमाराम ही है और वादग्रस्त भूमि में वादी का गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जो वादी सही नाम श्रीराम पुत्र पदमाराम इन्द्राज करवानें का हकदार है।

उपरोक्त विवेचन उपरांत अदालत इस नतीजें पर पंहुची है कि वादी के बयानात,ग्राम पंचायत सिणली जागीर व ग्राम पंचायत करना के प्रमाण पत्र,हल्का पटवारी सिणली जागीर व भू.अ. निरीक्षक तिलवाड़ा की संयुक्त जांच रिपोर्ट व राजस्व रेकर्ड के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मदद्वेनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम रिकरलाई तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 288 क्षेत्रफल 3.7069 हैक्टयर **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित अशुद्व प्रविष्टि श्री सुरेन्द्र पुत्र पदमा के स्थान पर श्रीराम पुत्र पदमाराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा तदुनसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.5.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:20:45 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा